न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— मुन्नीराम बागड़िया
आर0 ए0 एस0

निगरानी संख्या :— 01/2018

बीरबलराम पुत्र श्री सूरजाराम, जाति मेघवाल, निवासी हेतमसर, तहसील व जिला झुंझुनू राजस्थान,।

— निगरानीकार

— बनाम—

1. रविन्द्र कुमार पुत्र बीरबलराम, जाति मेघवाल, निवासी हतमसर, हाल आबाद, 4/326, हाउसिंग बोर्ड, झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू राज0।
2. ग्राम पंचायत भारू पंचायत समिति झुंझुनू जरिये सरपंच ग्राम पंचायत भारू।

—गैर निगरानीकारगण

निगरानी अ0धा0 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994
विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत भारू, बाबत पट्टा विलेख संख्या 076
दिनांक 08.11.2017

उपस्थिति :—
1. श्री राधेश्याम सामरिया, एडवोकेट — निगरानीकार की ओर से।
2. श्री मन्दरूप सिंह, एडवोकेट — गैर निगरानीकार सं 1 की ओर से

—निर्णय—

दिनांक :— 25.6.2018

उक्त उनवानी निगरानी विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत भारू के खिलाफ पट्टा संख्या 076 दिनांकित 08.11.2017 के विरूद्ध पेश की गई । संक्षिप्त में निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं अंकित किये गये हैं कि— कस्बा हेतमसर की सरहद में प्रार्थी निगरानीकार अपनी आवाससीय आबादी गुवाड़ी में अपने परिवार सहित दो पक्के मकान व कच्चा निर्माण कर आबाद हैं तथा उसको उपभोग में लेता आ रहा है। सरपंच श्रीमती सीमा देवी ने राजनैतिक द्वैषता की भावना से अपने पद का दुरूपयोग कर विधि की अवज्ञा कर बिना किसी मौके की जांच पड़ताल किये गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में पटटा विल्लेख जारी कर दिया । ग्राम पंचायत भारू द्वारा जारी पट्टे विलेख को खाली भूखण्ड के रूप में जारी किया गया है। जबकि सरपंच सीमा देवी, पंच रिछपाल, सुलतान सिंह व राजकुमार के द्वारा प्रस्तुत अपनी जांच व रिपोर्ट में उक्त विवादित भूखण्ड में पक्के व कच्चे मकान बने हुये नहीं बताये हैं। जबकि आवासीय आबादी विवादित गुवाड़ी में कच्चा व पक्का निर्माण किया हुआ है जिससे साफ जाहिर है कि सरपंच ग्राम पंचायत भारू से जान बूझकर विधि की

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनू

अवज्ञा कर गलत रूप से पट्टा जारी किया है, जो काबिले निरस्त है। सरपंच ग्राम पंचायत भारू को भली भांति ज्ञान था कि विवादित आवासीय गुवाड़ी निगरानीकार की है तथा उक्त आवासीय गुवाड़ी में निगरानीकार विधि सम्मत तरीके से आबाद है और न कभी आबाद रहा । वर्तमान में भी निगरानीकार ही आबाद है, फिर भी पट्टा जारी करके सरपंच ग्राम पंचायत भारू ने भारी भूल की है। ग्राम पंचायत भारू ने संबंधित हल्का पटवारी, ग्राम सेवकर एवं आस पड़ौस के व्यक्तियों एवं ग्राम के माननीय बुजुर्ग व्यक्तियों से बिना पूछताछ के ही ग्राम पंचायत भारू ने विधि विरूद्ध तरीके से पटटा विलेख जारी करने के आदेश प्रदान किये जो काबिले निरस्त होने योग्य हैं। जिस आवासीय आबादी भूमि का पट्टा विलेख जारी किया गया है उक्त भूमि पर पट्टा विलेख आवेदन के राजे व आदेश पारित करने के रोज गैर निगरानीकार संख्या 1 का कब्जा नहीं था और वर्तमान में भी निगरानीकार का ही कब्जा है। कब्जे के अभाव में ग्राम पंचायत भारू सरपंच ने पटटा विलेख जारी कर तथ्य एवं विधि की भूल की है, इसलिए भी ग्राम पंचायत भारू का आदेश निरस्त होने योग्य है। भूमि खसरा नंबर 89 किस्म गैर मु0 आबादी में उक्त विवादित भूमि होना बताया है जो कि गैर निगरानीकार संख्या 1 की पुस्तैनी बताते हुये पट्टा जारी किया गया है जो कि गैर निगरानीकार संख्या 1 की पुस्तैनी भूमि नहीं है। ग्राम पंचायत भारू ने बिना विधिक प्रकिया अपनाये पट्टा जारी किया है। अतः निगरानी पेश कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत भारू सरपंच के आदेश पटटा विलेख संख्या 075 दिनांक 8.11.2017 को निरस्त फरमाया जावे एवं खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगरानीकार को तारीख पेशी की सूचना नकल निगरानी के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान वकील निगरानीकर्ता ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि – कस्बा हेतमसर की सरहद में प्रार्थी निगरानीकार अपनी आवाससीय आबादी गुवाड़ी में अपने परिवार सहित दो पक्के मकान व कच्चा निर्माण कर आबाद हैं तथा उसको उपभोग में लेता आ रहा है। सरपंच ग्राम पंचायत भारू ने श्रीमती सीमा देवी ने राजनैतिक द्वैषता की भावना से अपने पद का दुरूपयोग कर विधि की अवज्ञा कर बिना किसी मौके की जांच पड़ताल किये गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में पटटा विल्लेख जारी कर दिया । ग्राम पंचायत भारू द्वारा जारी पट्टे विलेख को खाली भूखण्ड के रूप में जारी किया गया है। जबकि सरपंच सीमा देवी, पंच रिछपाल, सुलतान सिंह व राजकुमार के द्वारा प्रस्तुत अपनी जांच व रिपोर्ट में उक्त विवादित भूखण्ड में पक्के व कच्चे मकान बने हुये नहीं बताये हैं। जबकि आवासीय आबादी विवादित गुवाड़ी

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

में कच्चा व पक्का निर्माण किया हुआ है जिससे साफ जाहिर है कि सरपंच ग्राम पंचायत भारू से जान बूझकर विधि की अवज्ञा कर गलत रूप से पट्टा जारी किया है। सरपंच ग्राम पंचायत भारू को भली भांति ज्ञान था कि विवादित आवासीय गुवाड़ी निगरानीकार की है तथा उक्त आवासीय गुवाड़ी में निगरानीकार विधि सम्मत तरीके से आबाद है और न कभी आबाद रहा । वर्तमान में भी निगरानीकार ही आबाद है, फिर भी पट्टा जारी करके सरपंच ग्राम पंचायत भारू ने भारी भूल की है। ग्राम पंचायत भारू ने संबंधित हल्का पटवारी, ग्राम सेवकर एवं आस पड़ौस के व्यक्तियों एवं ग्राम के माननीय बुजुर्ग व्यक्तियों से बिना पूछताछ के ही ग्राम पंचायत भारू ने विधि विरूद्ध तरीके से पटटा विलेख जारी करने के आदेश प्रदान किये जो काबिले निरस्त होने योग्य हैं। जिस आवासीय आबादी भूमि का पट्टा विलेख जारी किया गया है उक्त भूमि पर पट्टा विलेख आवेदन के राजे व आदेश पारित करने के रोज गैर निगरानीकार संख्या 1 का कब्जा नहीं था और वर्तमान में भी निगरानीकार का ही कब्जा है। कब्जे के अभाव में ग्राम पंचायत भारू सरपंच ने पटटा विलेख जारी कर तथ्य एवं विधि की भूल की है, इसलिए भी ग्राम पंचायत भारू का आदेश निरस्त होने योग्य है। भूमि खसरां नंबर 89 किस्म गैर मु0 आबादी में उक्त विवादित भूमि होना बताया है जो कि गैर निगरानीकार संख्या 1 की पुस्तैनी बताते हुये पट्टा जारी किया गया है जो कि गैर निगरानीकार संख्या 1 की पुस्तैनी भूमि नहीं है। ग्राम पंचायत भारू ने बिना विधिक प्रकिया अपनाये पट्टा जारी किया है। अतः निगरानी पेश कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत भारू सरपंच के आदेश पटटा विलेख संख्या 075 दिनांक 8.11.2017 को निरस्त फरमाया जावे एवं खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

दौराने बहस वकील गैर निगरानीकार सं0–1 ने बताया कि – ग्राम पंचायत भारू ने गैर निगरानीकार संख्या–1 के आवेदन पर आबादी भूमि में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित प्रकिया अपनायी जाकर विधिक तरीके से उक्त पट्टा संख्या 075 दिनांक 8.11.2017 जारी किया गया जो सही है। निगरानीकार ने मनगढंत तथ्यों के आधार पर निगरानी प्रस्तुत की है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

मैंने निगरानी पत्रावली मिसल ग्राम पंचायत भारू का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत भारू द्वारा आबादी भूमि में पूर्ण विधिक प्रकिया अपनायी जाकर ग्राम पंचायत सदन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर उक्त पट्टा जारी किया गया है। निगरानीकार ने अपने कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। जिसको निगरानीकार के मौखिक कथनों पर विश्वास किया जाकर निरस्त किया जाना उचित एवं न्यायोचित नहीं समझता। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी खारिज की जाती है। आदेश की एक प्रति ग्राम

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

पंचायत समिति को भिजवाई जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

25/6/18

(मुन्नीराम बागडिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू

निर्णय आज दिनांक 25.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया। हो।

25/6/18

(मुन्नीराम बागडिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू